रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2017/चैत्र 30, 1939
No. 155] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2017/CHAITRA 30, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

फा. सं. 10/क्यूए/एफए परीक्षा/ एफएसएसएआई/2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.4 के उप-नियम 1 (ii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- 3, खंड -4 में प्रकाशित खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना संख्या 10/क्यूए/एफए परीक्षा/ एफएसएसएआई/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2016 और अधिसूचना संख्या 10/क्यूए/एफए परीक्षा/ एफएसएसएआई/2016 दिनांक 13 फरवरी, 2017, को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातो के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत खाद्य विश्लेषक के पद के लिए उपयुक्त तथा अहर्ता प्राप्त आवेदको पर विचार करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों को लेकर एक बोर्ड का गठन एतद्वारा करता है, अर्थात:-

(I) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष

(II) मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण - सदस्य

(III) सलाहकार (विनियम), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण – सदस्य

(IV) सलाहकार (गुणवत्ता आश्वासन), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण - सदस्य सचिव

(V) मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण – सदस्य

(VI) निदेशक, भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान, तंजौर - सदस्य

(VII) डीन, खाद्य विज्ञान एवं तकनीक, राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन, कुंण्डिली– सदस्य

(VIII) प्रमुख, एफएसएक्यूसीएल(निदेशक सीएफएल) – केन्द्रिय खाद्य तकनीकी खोज संस्थान, मैसूर - सदस्य

(IX) प्रोफेसर एवं प्रमुख, खाद्य विज्ञान एवं तकनीक विभाग, पांडीचेरी, पांडीचेरी विश्वविद्यालय – सदस्य

2. यह बोर्ड इस उद्देश्यर के लिए विशेषज्ञ अथवा अधिकारी को, जैसा उचित समझें, सहयोजित कर सकता है।

3. यह बोर्ड अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा तथा कार्य संव्यवहार इसके द्वारा होंगे।

4. किसी अड़चन/विवाद की स्थिति में, बोर्ड के अध्ययक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

5. केवल रिक्त पदों के विद्यमान होने या बोर्ड के गठन में किसी भी दोष के आधार पर बोर्ड की किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./15/17]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2017

F. No. 10/QA/FA Exam/FSSAI/2016.—In exercise of the powers conferred under the sub-rule 1(ii) of rule 2.1.4 of the Food Safety and Standards Rule, 2011, and in supersession of the Food Safety and Standards Authority of India notification number F. No 10/QA/FA Exam/FSSAI/2016 dated 28th July, 2016 and notification number F. No 10/QA/FA Exam/FSSAI/2016 dated 13th February, 2017, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Food Safety and Standards Authority of India hereby appoints a board comprising of the following members for the purpose of considering the candidates suitable and qualified to hold the post of Food Analyst under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder, namely:-

i. Chief Executive Officer, Food Safety and Standard Authority of India – Chairman

ii. Chief Management Service Officer, Food Safety and Standard Authority of India - Member

iii. Advisor (Regulations), Food Safety and Standard Authority of India – Member

iv. Advisor (Quality Assurance), Food Safety and Standard Authority of India - Member Secretary

v. Chief Information Technology Officer, Food Safety and Standard Authority of India – Member

vi. Director, Indian Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur - Member

vii. Dean, Food Science & Technology, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Kundli – Member

viii. Head, FSAQCL (Director CFL) – Central Food Technological Research Institute, Mysuru- Member

ix. Prof. & Head, Department of Food Science & Technology, Pondicherry University – Member

2. The Board may co-opt experts or officers for such purpose or provide as it deems fit.

3. This board shall regulate its own procedure and the conduct of business to be transacted by it.

4. In case of any difficulty/dispute, the decision of the chairman of the board shall be final.

5. No act of proceeding of the board shall be called in questions on the ground merely of existence of any vacancy in as or any defect in the constitution of the Board.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./15/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.24 13:48:14 +05'30'